

डॉ. के.डी. त्रिपाठी
भा.प्र.से.
परियोजना संचालक



म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन)
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : +91-755-2559629, फैक्स : +91-755-2556619

क्र./MPSACS/TI/20/3401

दिनांक : 26/12/2020

प्रति,

परियोजना संचालक,
समस्त लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना (संलग्न सूची अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय:- टी.आई.स्टॉफ द्वारा जेलों में संचालित एच.आई.व्ही./ एड्स, टी.बी-इंटरवेंशन / कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु आदेश।

मध्य प्रदेश की समस्त जेलों में परिरुद्ध कैदियों हेतु एच.आई.व्ही./एड्स, टी.बी-इंटरवेंशन/ कार्यक्रम, प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। कॉलम नम्बर 05 में अंकित समस्त लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं संलग्न सूची अनुसार कॉलम नम्बर 03 में अंकित अपने-अपने जिले व विकासखण्ड में स्थित केंद्रीय, जिला एवं उपजेलों में प्रत्येक माह में एक बार अपनी आउटरीच गतिविधियों के साथ निम्नांकित गतिविधियाँ किया जाना सुनिश्चित करें :-

01. जेलों में प्रवेश नये बंदियों की एचआईवी व टीबी स्क्रीनिंग शतप्रतिशत हो इसके लिए जिले की एफआईसीटीसी के साथ जेलों की मैपिंग मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा की गई हैं। (सूची संलग्न) उनके समन्वय में सहयोग करें। आवश्यकता होने पर सीबीएस के माध्यम से एचआईवी स्क्रीनिंग व 4S विधि से टीबी स्क्रीनिंग भी जेलों में संपादित करें।
02. जांच में आए एचआईवी रियेक्टिव बंदियों की एच.आई.व्ही. पुष्टिकरण जांच हेतु नजदीकी आईसीटीसी केन्द्र से जेल विभाग से समन्वय करें।
03. जेलों में एचआईवी व टीबी से संबंधित जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करना साथ ही प्रीजन पीयर मोबिलाइजर (पी.पी.एम) की आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करना।
04. सुभिक्षा परियोजना के द्वारा बनाये गए प्रीजन पीयर वॉलंटियर (पी.पी.व्ही) का क्षमता वर्धन करें।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार संबंधित टी.आई.स्टॉफ को निर्देशित करते हुए जेलों में प्रतिमाह एक दिवसीय विजिट किया जाना सुनिश्चित करें एवं विजिट संबंधित जानकारी मासिक तौर पर कार्यक्रम अधिकारी टीएसयू से साझा करें एवं टी.आई.रिकार्ड में संधारित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

परियोजना संचालक

पृ. क्र./MPSACS/TI/20/3402

दिनांक : 26/12/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त केंद्रीय, जिला, एवं उपजेल मध्यप्रदेश
2. संयुक्त संचालक, टी.आई. मध्यप्रदेश राज्य एड्स. नियंत्रण समिति, भोपाल।
3. टीम लीडर, टीएसयू।
4. राज्य परियोजना समन्वयक, सुभिक्षा परियोजना।

परियोजना संचालक

